संख्या 1532 / 11-2-19-9(47) / 17टी0सी0-58

प्रेषक,

राम नवग्रह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक,
राजकीय मुद्रणालय,
ऐशबाग, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग 2   लखनऊ   दिनाँकः 12 दिसम्बर, 2019

विषयः अधिसूचना को मुद्रित करने एवं गजट में प्रकाशन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आदेश संख्या क0नि0-2-1532 / ग्यारह-9(47) / 17-उ0प्र0अधि0-1-2017 आदेश (72)-2019 दिनांक 09 दिसम्बर, 2019, की अंग्रेजी एवं हिन्दी की एक-एक प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया इसकी 3500 प्रतियाँ मुद्रित कराते हुये इसे 09 दिसम्बर, 2019, के असाधारण गजट में प्रकाशित कराकर 3000 प्रतियां कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को एवं 500 प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- यह अधिसूचना असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) के अन्तर्गत प्रकाशित की जायेगी।

Add. Com. (Law)

संलग्नक-यथोक्त।

कमिश्नर
12.12.2019

भवदीय,

(राम नवग्रह)
संयुक्त सचिव।

संख्याः-1532(1) / 11-2-2019-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

3427

1- कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0 प्र0 लखनऊ।
2- निदेशक, सूचना विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ (प्रचार-प्रसार हेतु)।
3- विधायी विभाग (अनुभाग-1), उ0प्र0 शासन।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम नवग्रह)
संयुक्त सचिव।

JC (GST)

162
13.12.19
JC GST

513(4)

Scanned by CamScanner

5

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2
संख्या–क0नि0–2–1532/ग्यारह–9(47)/17–उ0प्र0अधि0–1–2017–आदेश–(72)–2019
लखनऊ::दिनांक:: 09 दिसम्बर, 2019

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 11 की उप धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की संस्तुतियों पर, एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या क0नि0-2-837/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(07)-2017 दिनांक 30 जून, 2017 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,-

(i) क्रम संख्या 57 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:-

"57क	0813	शुष्क इमली";

(ii) क्रम संख्या 114 ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात्:-

"114ग	46	सभी प्रकार की पत्तियों/फूलों/छालों से बने प्लेट्स और कप्स";

2– यह अधिसूचना तारीख 01 अक्टूबर, 2019 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

(आलोक सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव

Scanned by CamScanner

Uttar Pradesh Shasan

Sansthagat Vitta, Kar Evam Nibandhan Anubhag-2

15

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government Notification no. KA.NI-2-1532 /XI-9(47)/17- U.P. Act-1-2017-Order-(72)-2019, dated 09 December, 2019:

NOTIFICATION

No.- KA.NI-2-1532/XI-9(47)/17- U.P. Act-1-2017-Order-(72)-2019

Lucknow : Dated : 09 December, 2019

In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) of section 11 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no 1 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in notification no. KA.NI.-2-837/XI-9(47)/17-U.P. Act-1-2017-Order-(07)-2017 dated the 30th June, 2017 namely:-

Amendment

In the said notification, in the Schedule,-

(i) after S. No. 57 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"57A	0813	Tamarind dried";

(ii) after S. No. 114B and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"114C	46	Plates and cups made up of all kinds of leaves/ flowers/bark";

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st October, 2019.

By Order,

(Alok Sinha)

Apar Mukhya Sachiv

Scanned by CamScanner

संख्या 1525/11 2 19 9(47)/17टी०सी० 51

प्रेषक,

राम नवग्रह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक,
राजकीय मुद्रणालय,
ऐशबाग, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-2 लखनऊ दिनांकः 12 दिसम्बर, 2019

विषयः- अधिसूचना को मुद्रित करने एवं गजट में प्रकाशन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आदेश संख्या क०नि० 2 1525/ग्यारह 9(47)/17 उ०प्र०अधि० 1 2017 आदेश-(71) 2019 दिनांक 09 दिसम्बर, 2019, की अंग्रेजी एवं हिन्दी की एक-एक प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया इसकी 3500 प्रतियाँ मुद्रित कराते हुये इसे 09 दिसम्बर, 2019, के असाधारण गजट में प्रकाशित कराकर 3000 प्रतियां कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को एवं 500 प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- यह अधिसूचना असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) के अन्तर्गत प्रकाशित की जायेगी।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(राम नवग्रह)
संयुक्त सचिव।

संख्याः-1525(1)/11-2-2019-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0 प्र0 लखनऊ।
2- निदेशक, सूचना विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ (प्रचार-प्रसार हेतु)।
3- विधायी विभाग (अनुभाग-1), उ0प्र0 शासन।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम नवग्रह)
संयुक्त सचिव।

Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2
संख्या–क0नि0–2–1525/ग्यारह–9(47)/17–उ0प्र0अधि0–1–2017–आदेश–(71)–2019
लखनऊ::दिनांक:: 09 दिसम्बर, 2019

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 11 की उप धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की संस्तुतियों पर अधिसूचना संख्या क0नि0-2-843/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(10)-2017 दिनांक 30 जून, 2017 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 7 के समक्ष, स्तम्भ (3) की प्रविष्टि में, शब्दों और कोष्ठक "पिछले वित्तीय वर्ष में बीस लाख रुपए (विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में दस लाख रुपए)" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द, कोष्ठक और अंक रख दिये जायेंगे, अर्थात्:-

"पिछले वित्तीय वर्ष में इतनी राशि जितने से कि वे उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) के अधीन रजिस्ट्रीकृत से छूट प्राप्त करने के पात्र हों"

(ख) क्रम संख्या 9क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9कक	अध्याय 99	भारत में आयोजित होने वाली FIFA U-17 महिला विश्व कप, 2020 के अधीन किसी भी समारोह में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: फेडरेशन इंटरनेशल डी फुटबाल एसोसिएशन (FIFA) और इसके सहायक	शून्य	बशर्ते कि निदेशक (खेल), युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय यह प्रमाणित कर दें कि ये सेवाएं प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: FIFA U-17 महिला विश्व

Scanned by CamScanner

		संगठनों के द्वारा या उनको प्रदान की जाने वाली सेवाएं ।		कप, 2020 के अंतर्गत आने वाले समारोह से संबंधित हैं ।";

(ग) क्रम संख्या 14 के समक्ष, स्तम्भ (3) की प्रविष्टि में, शब्द "कम" के पश्चात शब्द "या के बराबर" बढ़ा दिये जाएंगे;

(घ) क्रम संख्या 19क के समक्ष, स्तम्भ (5) की प्रविष्टि में, अंक "2019" के स्थान पर अंक "2020" को रख दिया जाएगा;

(ङ) क्रम संख्या 19ख के समक्ष, स्तम्भ (5) की प्रविष्टि में, अंक "2019" के स्थान पर अंक "2020" को रख दिया जाएगा;

(च) क्रम संख्या 24क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"24ख	शीर्षक 9967 और शीर्षक 9985	अनाज, दालें, फल, नट्स और सब्जियां, मसाले, कोपरा, गन्ना, गुड़, कच्चे वनस्पति रेशे जैसे कि कपास, फ्लैक्स, जूट आदि, नील, अविनिर्मित तंबाकू, पान के पत्ते, तेंदू के पत्ते, कॉफी और चाय के भंडारण या वेयरहाउसिंग के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं	शून्य	शून्य";

(छ) क्रम संख्या 29क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"29ख	शीर्षक 9971 या शीर्षक 9991	केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (गृह मंत्रालय के अंतर्गत) समूह बीमा कोष के द्वारा संबंधित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत अपने सदस्यों को जीवन बीमा से संबंधित दी गई या दिए जाने के लिए अनुबंधित सेवाएं	शून्य	शून्य";

Scanned by CamScanner

(ज) क्रम संख्या 35 के समक्ष, स्तम्भ (3) की प्रविष्टि में प्रविष्टि (थ) के पश्चात, शब्द "(द) बंग्ला सस्य बीमा" बढ़ा दिये जायेंगे;

(झ) क्रम संख्या 45 के समक्ष, स्तम्भ (3) की प्रविष्टि में जहां-जहां शब्द और कोष्ठक "पिछले वित्तीय वर्ष में बीस लाख रुपए (विशेष श्रेणी के राजकीय मामले में दस लाख रुपए)" आए हों, वहां-वहां उनके स्थान पर निम्नलिखित शब्द, कोष्ठक और अंक को रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

"पिछले वित्तीय वर्ष में इतनी राशि जितने से कि वे उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) के अधीन रजिस्ट्रीकृत से छूट प्राप्त करने के पात्र हों"

(ञ) क्रम संख्या 82 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"82क	शीर्षक 9996	FIFA U-17 महिला विश्व कप, 2020 के अंतर्गत आयोजित होने वाले समारोह में प्रवेश के अधिकार देने के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं	शून्य	शून्य";

2— यह अधिसूचना तारीख 01 अक्टूबर, 2019 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

(आलोक सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव

Scanned by CamScanner

(2)

Uttar Pradesh Shasan
Sansthagat Vitta, Kar Evam Nibandhan Anubhag-2

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government Notification no. KA.NI-2-1525/XI-9(47)/17- U.P. Act-1-2017-Order-(71)-2019, dated 09 December, 2019:

NOTIFICATION

No.- KA.NI-2-1525/XI-9(47)/17- U.P. Act-1-2017-Order-(71)-2019

Lucknow : Dated : 09 December, 2019

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no 1 of 2017), the Governor, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification No.KA.NI.-2-843/XI-9(47)/17-U.P.Act-1-2017-Order-(10)-2017 Dated June 30, 2017, namely:-

Amendment

In the said notification, -

(i) in the Table, -

(a) against serial number 7, in the entry in column (3), for the words and brackets, "twenty lakh rupees (ten lakh rupees in case of a special category state) in the preceding financial year", the following words, brackets and figures shall be substituted, namely, –

"such amount in the preceding financial year as makes it eligible for exemption from registration under the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no 1 of 2017)";

(b) after serial number 9A and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9AA	Chapter 99	Services provided by and to FédérationInternationale de Football Association (FIFA) and its subsidiaries directly or indirectly related to any of the	Nil	Provided that Director (Sports), Ministry of Youth Affairs and Sports certifies that the services are directly or

Scanned by CamScanner

		events under FIFA U-17 Women's World Cup 2020 to be hosted in India.		indirectly related to any of the events under FIFA U-17 Women's World Cup 2020.";

(c) against serial number 14, in the entry in column (3), after the word 'below', the words 'or equal to' shall be inserted;

(d) against serial number 19A, in the entry in column (5), for the figures "2019", the figures "2020" shall be substituted;

(e) against serial number 19B, in the entry in column (5), for the figures "2019", the figures "2020" shall be substituted;

(f) after serial number 24A and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"24B	Heading 9967 or Heading 9985	Services by way of storage or warehousing of cereals, pulses, fruits, nuts and vegetables, spices, copra, sugarcane, jaggery, raw vegetable fibres such as cotton, flax, jute etc., indigo, unmanufactured tobacco, betel leaves, tendu leaves, coffee and tea.	Nil	Nil";

(g) after serial number 29A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"29B	Heading 9971 or Heading 9991	Services of life insurance provided or agreed to be provided by the Central Armed Police Forces (under Ministry of Home Affairs) Group Insurance Funds to their members under the Group Insurance Schemes of the concerned Central Armed Police Force.	Nil	Nil";

(h) against serial number 35, in the entry in column (3), after the entry (q), the entry "(r) Bangla ShasyaBima" shall be inserted;

Scanned by CamScanner

(i) against serial number 45, in the entries in column (3), for the words and brackets "twenty lakh rupees (ten lakh rupees in the case of special category states) in the preceding financial year", wherever they occur, the following words, brackets and figures shall be substituted, namely, –

"such amount in the preceding financial year as makes it eligible for exemption from registration under the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no 1 of 2017)";

(j) after serial number 82 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"82A	Heading 9996	Services by way of right to admission to the events organised under FIFA U-17 Women's World Cup 2020.	Nil	Nil".

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st October, 2019.

By Order,

(Alok Sinha)
Apar Mukhya Sachiv

Scanned by CamScanner

संख्या–1612/11–2–19–9(47)/17टी0सी0–61

प्रेषक,

राम नवग्रह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक,
राजकीय मुद्रणालय,
ऐशबाग, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग–2 लखनऊ दिनॉकः: 12 दिसम्बर, 2019

विषयः– अधिसूचना को मुद्रित करने एवं गजट में प्रकाशन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आदेश संख्या–क0नि0–2–1612/ग्यारह–9(47)/17–उ0प्र0अधि0–1–2017–आदेश–(73)–2019 दिनांक 09 दिसम्बर, 2019, की अंग्रेजी एवं हिन्दी की एक–एक प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया इसकी 3500 प्रतियॉ मुद्रित कराते हुये इसे 09 दिसम्बर, 2019, के असाधारण गजट में प्रकाशित कराकर 3000 प्रतियां कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को एवं 500 प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– यह अधिसूचना असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) के अन्तर्गत प्रकाशित की जायेगी।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(राम नवग्रह)
संयुक्त सचिव।

संख्याः–1612(1)/11–2–2019–तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0 प्र0 लखनऊ।
2– निदेशक, सूचना विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ (प्रचार–प्रसार हेतु)।
3– विधायी विभाग (अनुभाग–1), उ0प्र0 शासन।
4– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम नवग्रह)
संयुक्त सचिव।

Scanned by CamScanner

Uttar Pradesh Shasan
Sansthagat Vitta, Kar Evam Nibandhan Anubhag-2

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government Notification no. KA.NI-2-1612/XI-9(47)/17-U.P. Act-1-2017-Order-(73)-2019, dated 09 December, 2019:

NOTIFICATION

No.- KA.NI-2-1612/XI-9(47)/17- U.P. Act-1-2017-Order-(73)-2019
Lucknow : Dated : 09 December, 2019

In exercise of the powers conferred by section 148 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no 1 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification no. KA.NI.-2-983/XI-9 (47)/17-U.P. Act-1-2017-Order-(42)-2019 Dated 02 July, 2019, namely:–

Amendment

In the said notification, in paragraph 2, after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely: –

"Provided further that the due date for furnishing the statement containing the details of payment of self-assessed tax in said **FORM GST CMP-08**, for the quarter July, 2019 to September, 2019, or part thereof, shall be the 22nd day of October, 2019.".

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 18th day of October,2019.

By Order,

(Alok Sinha)
Apar Mukhya Sachiv

Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2
संख्या–क0नि0–2–1612 / ग्यारह–9(47) / 17–उ0प्र0अधि0–1–2017–आदेश–(73)–2019
लखनऊ::दिनांक:: 09 दिसम्बर, 2019

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की संस्तुतियों पर, अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-983/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0एक्ट-1-2017-आदेश-(42)-2019 दिनांकः 02जुलाई, 2019 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, द्वितीय पैरा में, प्रथम परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

"परंतु जुलाई, 2019 से सितंबर, 2019 तक की तिमाही या उसके भाग के लिए उक्त प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में स्वनिर्धारित कर के संदाय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए विवरण देने की देय तारीख 22 अक्टूबर, 2019 होगी।"

2. यह अधिसूचना तारीख 18 अक्टूबर, 2019 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

(आलोक सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव

Scanned by CamScanner